

E-mail: bhopal@mptownplan.gov.in

/ 2020

2. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उप विभाजन मान्य नहीं होगा।

Signature valid

Digitally signed by SUNITA SINGH
Date: 2020.01.10 13:59:59 IST

3. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी। उसके पश्चात ही भूखण्ड पर विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा दिया जा सकेगा।
4. भवन का भूतल निर्मित क्षेत्र 30 प्रतिशत अधिकतम मान्य होगा।
5. भवन में संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार एम ओ एस रखे जावे।
6. बहुमंजिला भवन में सामने से 12.0 मीटर, पीछे से 7.50 मीटर (न्यूनतम), दायें से 7.50 (न्यूनतम) मीटर एवं बायें से 7.50 मीटर (न्यूनतम) जो कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार है।
7. एफ.ए.आर 1: 1.25 (एक अनुपात दो दशमलव शून्य) अधिकतम तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार भवन की अधिकतम उंचाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होगा (30.0 मीटर + पोडियम पार्किंग + बेसमेंट) जो कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार होगा।
8. पार्किंग :-बहु इकाई आवास हेतु एक ई.सी.एस. प्रति 100.0 वर्ग मी. निर्मित क्षेत्र की दर से 71 ई.सी.एस. की आवश्यकता होगी। पोडियम में 35.0 वर्गमीटर प्रति कार के मान से 80 ईसीएस एवं स्टिल्ट में 30 वर्गमीटर प्रति कार के मान से 93 ईसीएस का प्रावधान किया गया है।
9. परिसर में जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा।
10. न्यायालय नजूल अधिकारी, नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल, के प्रकरण कमांक-06/नजूल/बी-121/19-20 भोपाल,दिनांक 27.04.2019 द्वारा जारी अनापत्ति कर समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
11. मुख्य नगर नियोजक, कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल के पत्र कमांक-844/02/भोविप्रा/2019 भोपाल,दिनांक 30.05.2019 द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. संस्था/आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही होगी।
13. प्रस्तावित अभिन्यास के आस पास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जायें एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।
14. भोपाल विकास योजना 2005 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में उल्लेखित बहु इकाई आवासीय विकास हेतु निर्धारित समस्त मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है, नियमानुसार जो मी. आवश्यकता हो जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लाट, ओवर, हेड टैंक, गारबेज डिस्पोजल एवं कॉलोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जावे।
16. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा।
17. इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनाये गये मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजरर्स का रजिस्ट्रकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 के नियम 10, 12 व अन्य समस्त नियमों का पालन नगर निगम भोपाल द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही विकास कार्य की अनुमति प्रदान की जावें।
18. प्रस्तावित अभिन्यास में सामान्य श्रेणी की कुल 104 आवासीय इकाईयें एवं निम्न यूज प्रस्तावित किये गये हैं उक्ताधार पर मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 के नियम 10 अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 19.4.2012 में उल्लेखित प्रावधानुसार ई.डब्ल्यू.एस एवं एल.आई.जी के लिये प्रकोष्ठ देने का विकल्प दिया है। इस संबंध में ई.डब्ल्यू.एस. हेतु 25 से 35 वर्गमीटर की 10 आवासीय इकाई एवं एल. आई. जी. हेतु 36 से 48 वर्गमीटर की 06 आवासीय इकाई का प्रावधान किया गया है। कृपया कालोनाईजर नियम 1998 के परिप्रेक्ष्य में इस बाबत परीक्षण कर नियमानुसार

Signature valid

Digitally signed by SONITA SINGH

Date: 2020.01.10 13:59:59 IST

कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उपरांत ही नियमानुसार विकास अनुमति प्रदान की जाये।

18. इस कार्यालय एवं राजस्व विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) दिनांक 04.10.2019 में दर्शित माप एवं स्थिति के आधार पर ही मान्य होगा।
19. विकास अनुमति जारी करने के पूर्व भूमि स्वामित्व संबंधी परीक्षण कर लिया जाये। इस संबंध में प्रस्तुत अनुबंध/पावर ऑफ अटॉर्नी/अधिकार पत्र इत्यादि की वैधानिकता का परीक्षण करने के उपरांत ही विकास अनुमति जारी की जाये।
20. मध्य प्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में हुए संशोधन के नियम का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
21. अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
22. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के परिप्रेक्ष्य में आवेदन हेतु शुल्क रुपये 5,000/- चालान क्रमांक- MPT021709092019000021 दिनांक 09.09.2019 एवं विकास अनुज्ञा शुल्क रु 42,750/- चालान क्रमांक- MPT021719122019000087 दिनांक 19.12.2019 द्वारा जमा किये गये एवं अंतिम सत्यापन के अध्यक्षीन है यदि आपके द्वारा भुगतान किये गये शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।
23. यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।
24. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावे, इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
25. स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 X 1.25 मीटर साइज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।
26. किसी भी प्रकार का टोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।
27. संस्था एवं नगर पालिका निगम भोपाल को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
28. यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 24.08.2019 में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू-स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ताधर्ता है। साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जावेगा जैसा कि अनुमति है व जैसा कि अनुमति की उल्लेखित शर्तों में उल्लेख है।
29. प्रश्नाधीन भूमि/भूखण्डों पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।
30. जल-मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जावे।
31. निर्माणकर्ता को यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी, पार्किंग स्थलों का विकास, हरित क्षेत्रों का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यो को सम्पूर्ण करने के पश्चात ही भवन का उपयोग प्रारंभ करें।
32. प्रस्तावित योजना में पहुँच मार्ग हेतु कोई भी विवाद होता है तो वह संस्था के स्वयं को जिम्मे वरी होगी।
33. स्थल पर वर्तमान में विद्यमान इलेक्ट्रिक लाईनों को स्थानांतरित किए जाने के पश्चात ही विकास कार्य द्वारा विकास कार्य शुरू किया जावे।
34. इस अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे तथा किसी भी प्रकार की भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by SHWETA SINGH
Date: 2020.01.10 13:59:59 IST

35. नदी/नहर/तालाब में किसी भी प्रकार का प्रदूषण न हो तथा जल ग्रहण से बेड़ें से निकलने वाले ड्रेन बाधा रहित हो तथा इस ड्रेन से मिट्टी का बहाव नदी/नहर/तालाब की ओर नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाये।
36. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।
37. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख वर्तमान में निर्मित मार्ग को कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 3702/त.शा./का.य.भो./2019 दिनांक 14.11.2019 के साथ प्रस्तुत मार्ग के संबंध में प्राप्त कास-सेक्शन के अनुसार मार्ग की चौड़ाई नियोजन के दृष्टि से 24 मीटर रखना अनिवार्य होगा।
38. आवेदक द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन अभिन्यास के आधार पर परियोजना का नाम "प्रधान प्रिसटिन" रहेगा एवं बगैर लिखित स्वीकृति के इनमें कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
39. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन म.प्र.

पृ. क्रमांक- BPLLP-5911/एल.पी.156/29(1)/नग्रानि/जिका/2018 भोपाल, दिनांक /2020
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन (बैंच) भोपाल की ओर प्रकरण क्रमांक-21/2014 में दिनांक 17.12.15 को जारी आदेश के पालन में कृपया सूचनार्थ।
2. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश भोपाल (कम्प्यूटर कक्ष), नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश, भोपाल की ओर निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील हुजूर (संबंधित वृत्त), जिला भोपाल की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का ले-आउट स्वीकृत हो गया है" की टीप अंकित किये जाने बावत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. सर्वेक्षक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
8. भूमि स्वामी श्री शैलेंद्र प्रधान आ0 श्री स्व. प्रभुदयाल प्रधान भगीदार से संलग्न पत्र के माध्यम से भोपाल प्रश्नाधीन भूमि पर समस्त अनुज्ञाओं की प्रति इस कार्यालय को जारी हो चुकी है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र से उपलब्ध करावे तथा समस्त शर्तों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेब साईट www.emptownplan.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन म.प्र.

Signature valid

Digitally signed by SONITA SINGH
Date: 2020.10.16 13:59:59 +05'30'

LOCATION PLAN

KHASARA PLAN
1:4000

यह मानचित्र भूमि-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

(1:500)

सुदुल्ल-संघालक
नगर तथा ग्राम निवेश
दिला कार्यालय, भोपाल

[illegible]

1. The first step in the process of the investigation is to identify the problem or the question that needs to be answered. This is often done by the researcher or the client, and it is crucial to define the scope of the investigation clearly.

2. Once the problem is identified, the next step is to gather information. This can be done through various methods such as interviews, surveys, or experiments. The goal is to collect data that will help in understanding the problem better.

3. After gathering the information, the next step is to analyze the data. This involves looking for patterns, trends, and relationships between the data points. It is important to use statistical methods or other analytical tools to make sense of the data.

4. Once the data has been analyzed, the next step is to draw conclusions. This involves interpreting the results of the analysis and making a decision about the problem or the question that was asked. It is important to be objective and to base the conclusions on the evidence that has been gathered.

5. Finally, the last step in the process is to communicate the results of the investigation. This can be done through a report, a presentation, or a discussion. It is important to make the results clear and easy to understand for the audience.